अपार्टमेंट आनरशिप अधिनियम में बदलाव पर होगा विचार : मंत्री

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : राज्य में अपार्टमेंट आनरशिप अधिनियम में बदलाव की तैयारी है। इसपर मंथन के लिए सोमवार को विकास भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन और बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह के साथ अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें अधिनियम से जुड़े कुछ बदलाव लाने की भी बात रखी गई। इस मुद्दे पर आगे बातचीत कर निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में रेरा की तरफ से कोर्ट रूम की आवश्यकता बताई गई।

मंत्री नितिन नवीन और रेरा के अध्यक्ष विवेक सिंह के साथ अधिकारियों की बैठक, रेरा की तरफ से कोर्ट रूम की आवश्यकता बताई गई

वर्तमान में रेरा के लिए छह स्वतंत्र कोर्ट रूम की आवश्यकता है, जबकि दो ही कोर्ट रूम हैं। जगह के अभाव में इसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। इस पर मंत्री ने जांच कर निर्णय लेने की बात कही।

मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि राज्य में अनियोजित शहरीकरण, आयोजना क्षेत्र के परिधि के बाहर अनियंत्रित निर्माण कार्य आदि विषयों पर रेरा अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है।

रेरा की ओर से सुझाव दिया गया कि नए राज्यमार्गों के समीप अंचलों को आयोजना क्षेत्रों में जोड़ा जाए। इसके अलावा शहरी नगर निकायों के सीमाक्षेत्र से सटे सभी अंचलों को आयोजना क्षेत्र में समावेषित करने आदि पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान विभागीय सचिव अभय कुमार सिंह और रेरा के अन्य सदस्य मौजूद रहे।